

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-07/स्था0-06-02/2025, परि0 3005 पटना, दिनांक-21/04/2025

मुन्ना कुमार तत्कालीन प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा का दिनांक-01.07.2025 को असमायिक मृत्यु के उपरान्त पत्नी श्रीमती रूपा कुमारी के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक-19.08.2025 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधीन केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की दिनांक-18.03.2024 को आयोजित बैठक की कार्यवाही ज्ञाप सं0-5308, दिनांक-19.03.2026 के क्रम सं0-01 पर श्रीमती रूपा कुमारी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है।


सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अनुशंसा के आलोक में श्रीमती रूपा कुमारी को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 एवं बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत परिवहन विभाग (मुख्यालय) में निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध अपुनरीक्षित वेतनमान-5200-20200, ग्रेड पे-1900 (पुनरीक्षित वेतनमान, लेवल-2) में समय-समय पर अनुमान्य भत्तों सहित योगदान की तिथि से अस्थायी रूप से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है-

क्र0	आश्रित का नाम	पति का नाम	जन्म तिथि	पदनाम
1	श्रीमती रूपा कुमारी	स्व0 मुन्ना कुमार	02.02.2001	निम्नवर्गीय लिपिक (लेवल-2)

शर्तें :

1. यह नियुक्ति श्रीमती रूपा कुमारी द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में सत्यापन के क्रम में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
2. बिहार पेंशन संशोधन नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार नयी अंशदायी पेंशन योजना (NPS) अनुमान्य होगी।
3. स्व0 मुन्ना कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के परिवार के आश्रित सदस्यों के भरण-पोषण का दायित्व श्रीमती रूपा कुमारी पर होगा। इस दायित्व का निर्वहन नहीं किये जाने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
4. नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से श्रीमती रूपा कुमारी 15 दिनों के अन्दर परिवहन विभाग (मुख्यालय) में अपना योगदान समर्पित करेंगी।
5. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

6. इनके वेतनादि का भुगतान परिवहन विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना द्वारा बजट शीर्ष 2041 वाहनों पर कर-00-001-निदेशन और प्रशासन-0001-राज्य परिवहन अधिकार मांग संख्या-47-2041000010001 से किया जायगा।
7. योगदान हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. इन्हें एक वर्ष के अन्दर हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता तथा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेनी होगी।
10. उपर्युक्त आदेश में सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।


सरकार के अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-07 / स्था0-06-02 / 2025, परि0

पटना, दिनांक-

मुन्ना कुमार तत्कालीन प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा का दिनांक-01.07.2025 को असमायिक मृत्यु के उपरान्त पत्नी श्रीमती रूपा कुमारी के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक-19.08.2025 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधीन केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की दिनांक-18.03.2024 को आयोजित बैठक की कार्यवाही ज्ञाप सं0-5308, दिनांक-19.03.2026 के क्रम सं0-01 पर श्रीमती रूपा कुमारी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अनुशंसा के आलोक में श्रीमती रूपा कुमारी को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 एवं बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत परिवहन विभाग (मुख्यालय) में निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध अपुनरीक्षित वेतनमान-5200-20200, ग्रेड पे-1900 (पुनरीक्षित वेतनमान, लेवल-2) में समय-समय पर अनुमान्य भत्तों सहित योगदान की तिथि से अस्थायी रूप से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है-

क्र0	आश्रित का नाम	पति का नाम	जन्म तिथि	पदनाम
1	श्रीमती रूपा कुमारी	स्व0 मुन्ना कुमार	02.02.2001	निम्नवर्गीय लिपिक (लेवल-2)

शर्तें :

1. यह नियुक्ति श्रीमती रूपा कुमारी द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में सत्यापन के क्रम में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
2. बिहार पेंशन संशोधन नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार नयी अंशदायी पेंशन योजना (NPS) अनुमान्य होगी।
3. स्व0 मुन्ना कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के परिवार के आश्रित सदस्यों के भरण-पोषण का दायित्व श्रीमती रूपा कुमारी पर होगा। इस दायित्व का निर्वहन नहीं किये जाने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
4. नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से श्रीमती रूपा कुमारी 15 दिनों के अन्दर परिवहन विभाग (मुख्यालय) में अपना योगदान समर्पित करेंगी।
5. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

6. इनके वेतनादि का भुगतान परिवहन विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना द्वारा बजट शीर्ष 2041 वाहनों पर कर-00-001-निदेशन और प्रशासन-0001-राज्य परिवहन अधिकार मांग संख्या-47-2041000010001 से किया जायगा।
7. योगदान हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. इन्हें एक वर्ष के अन्दर हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता तथा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेनी होगी।
10. उपर्युक्त आदेश में सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 07/स्था0-06-02/2025, परि0 3005 पटना, दिनांक- 21/04/2026
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विप्रादि 21.04.2026
सरकार के अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-07 / स्था0-06-02 / 2025, परि0

पटना, दिनांक-

मुन्ना कुमार तत्कालीन प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा का दिनांक-01.07.2025 को असमायिक मृत्यु के उपरान्त पत्नी श्रीमती रूपा कुमारी के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक-19.08.2025 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधीन केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की दिनांक-18.03.2024 को आयोजित बैठक की कार्यवाही ज्ञाप सं0-5308, दिनांक-19.03.2026 के क्रम सं0-01 पर श्रीमती रूपा कुमारी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अनुशंसा के आलोक में श्रीमती रूपा कुमारी को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 एवं बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत परिवहन विभाग (मुख्यालय) में निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध अपुनरीक्षित वेतनमान-5200-20200, ग्रेड पे-1900 (पुनरीक्षित वेतनमान, लेवल-2) में समय-समय पर अनुमान्य भत्तों सहित योगदान की तिथि से अस्थायी रूप से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है-

क्र0	आश्रित का नाम	पति का नाम	जन्म तिथि	पदनाम
1	श्रीमती रूपा कुमारी	स्व0 मुन्ना कुमार	02.02.2001	निम्नवर्गीय लिपिक (लेवल-2)

शर्तें :

1. यह नियुक्ति श्रीमती रूपा कुमारी द्वारा समर्पित शपथ पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में सत्यापन के क्रम में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
2. बिहार पेंशन संशोधन नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार नयी अंशदायी पेंशन योजना (NPS) अनुमान्य होगी।
3. स्व0 मुन्ना कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के परिवार के आश्रित सदस्यों के भरण-पोषण का दायित्व श्रीमती रूपा कुमारी पर होगा। इस दायित्व का निर्वहन नहीं किये जाने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
4. नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से श्रीमती रूपा कुमारी 15 दिनों के अन्दर परिवहन विभाग (मुख्यालय) में अपना योगदान समर्पित करेंगी।
5. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

6. इनके वेतनादि का भुगतान परिवहन विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना द्वारा बजट शीर्ष 2041 वाहनों पर कर-00-001-निदेशन और प्रशासन-0001-राज्य परिवहन अधिकार मांग संख्या-47-2041000010001 से किया जायगा।
7. योगदान हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. इन्हें एक वर्ष के अन्दर हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता तथा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेनी होगी।
10. उपर्युक्त आदेश में सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- 07/स्था0-06-02/2025, परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक- 07/स्था0-06-02/2025, परि0 3005

पटना, दिनांक- 21/04/2026

प्रतिलिपि- उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के वरीय प्रधान आप्त सचिव/लेखा शाखा/आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि
21/04/2026

सरकार के अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।